अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 08/2026
मो0 असलम
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

श्री जियाऊल कमर एवं पूजा कुमारी .... अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।

शहजाद हसन खान एवं असलम अंसारी .... बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

मो0 असलम, पिता–स्व0 मो0 मुस्लिम; अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, अमडंडा, पो0+थाना–अमडंडा, वाया–एकचारी, प्रखण्ड–संहौला, जिला–भागलपुर (मदरसा सं0–185) ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के आदेश ज्ञापांक 486, दिनांक 06.02.2026 के विरूद्ध यह अपील दायर की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकार को दिनांक 09.04.2026 की सुनवाई के दौरान बताया कि बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश द्वारा प्रतिवादी की प्रबंध समिति को अवैध रूप से, बिना किसी आधिकारिक जाँच के एवं अपीलार्थी की प्रबंध समिति को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना तथा केवल प्रधान–मौलवी के गलत एवं पक्षातपूर्ण बयान के आधार पर अनुमोदन दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि प्रतिवादी की प्रबंध समिति में प्रधान–मौलवी के सगे–संबंधी भी शामिल हैं। प्रतिवादी प्रबंध समिति नियमानुसार दो दान–दाता सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करती, क्योंकि उक्त समिति में भूमि दान–दाता सदस्य के स्थान को रिक्त रखा गया है, जबकि अपीलार्थी की प्रबंध समिति में दो वास्तविक भूमि दान–दाता सदस्य शामिल हैं।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्रतिवादी प्रबंध समिति में एक भी वैध अभिभावक प्रतिनिधि सदस्य नहीं है, जबकि अपीलार्थी की प्रबंध समिति को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है। मदरसा बोर्ड के सचिव ने कोई जाँच अथवा स्थलीय निरीक्षण नहीं कराई, ताकि प्रबंध समिति के गठन के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। बोर्ड का प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध, क्षेत्राधिकार रहित, अवैध तथा शक्तियों के दुरूपयोग पर आधारित है, अतः इसे Stay किया जाए।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 09.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि बोर्ड के प्रश्नगत आदेश द्वारा अनुमोदन किन परिस्थितियों में दी गई है, उसका अवलोकन करने हेतु समय दिया जाए। सुनवाई की अगली तिथि पर बोर्ड की तरफ से लिखित जवाब दाखिल कर देंगे। इस अपील में तत्काल Stay नहीं दिया जाए।

निष्कर्षः– सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों को सुना एवं संचिका का अवलोकन किया। सुनने तथा संचिका के अवलोकन के उपरांत प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि यह अपील मदरसा शिक्षा बोर्ड के आदेश ज्ञापांक 486, दिनांक 06.02.2026 के विरूद्ध दायर की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 09.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि बोर्ड के प्रसंगाधीन आदेश द्वारा प्रतिवादी की प्रबंध समिति को अवैध रूप से, बिना किसी आधिकारिक जाँच के एवं अपीलार्थी की प्रबंध समिति को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना तथा केवल प्रधान मौलवी के गलत एवं पक्षातपूर्ण बयान के आधार पर अनुमोदन दिया गया है। प्रतिवादी प्रबंध समिति नियमानुसार दो दान–दाता सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करती, क्योंकि उक्त समिति में भूमि दान–दाता सदस्य के स्थान को रिक्त रखा गया है, जबकि अपीलार्थी की प्रबंध समिति में दो वास्तविक भूमि दान–दाता सदस्य शामिल हैं।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 09.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि बोर्ड के प्रश्नगत आदेश द्वारा अनुमोदन किन परिस्थितियों में दी गई है, उसका अवलोकन करने हेतु समय दिया जाए। सुनवाई की अगली तिथि पर बोर्ड की तरफ से लिखित जवाब दाखिल कर देंगे। इस अपील में तत्काल Stay नहीं दिया जाए।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रतिवादी सं0–5 एवं 6 की उपस्थिति तक मदरसा शिक्षा बोर्ड के प्रश्नगत आदेश ज्ञापांक 486, दिनांक 06.02.2026 पर रोक (Stay) लगाई जाती है एवं उक्त प्रतिवादियों के उपस्थित होने पर रोक (Stay) स्वतः समाप्त हो जाएगी। बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता को निदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तिथि पर बोर्ड के तरफ से जवाब दाखिल करें। इस अपील की सुनवाई की अगली तिथि 06.05.2026 को निर्धारित की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 32 दिनांक 15/04/2026

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 असमल, पिता—स्व0 मो0 मुस्लिम; अध्यक्ष, प्रबंध समिति, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, अमडंडा, पो0+थाना—अमडंडा, वाया—एकचारी, प्रखण्ड—संहौला, जिला—भागलपुर/मो0 क्यामुद्दीन, सचिव, नई प्रबंध समिति, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, अमडंडा, पो0+थाना—अमडंडा, वाया—एकचारी, प्रखण्ड—संहौला, जिला—भागलपुर (मदरसा सं0—185)/मो0 सज्जाद आलम, अध्यक्ष, नई प्रबंध समिति, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, अमडंडा, पो0+थाना—अमडंडा, वाया—एकचारी, प्रखण्ड—संहौला, जिला—भागलपुर (मदरसा सं0—185)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.2026

(विजय कुमार)
अपर सचिव—सह—अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।